



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 25 मई, 2012/4 ज्येष्ठ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21-05-2012

No. HHC/Admn. 3 (328)/92.—27 days' earned leave on and w.e.f 04.06.2012 to 30.06.2012 with permission to prefix Sunday falling on 03.06.2012 and suffix Sunday falling on 01.07.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Suresh Dhameja, Court Master, of this Registry.

Certified that Shri Suresh Dhameja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Suresh Dhameja would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 18th May, 2012*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division.)-cum-JMIC (I), Sundernagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Sundernagar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. *etc.* in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head “2014-Administration of Justice” during the leave period of Shri Nitin Mittal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Sundernagar w.e.f. 19.5.2012 to 2.6.2012 with permission to suffix Sunday falling on 3.6.2012, or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 18th May, 2012*

No. HHC/GAZ/14-301/2008.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 19 days' earned leave *w.e.f.* 19.5.2012 to 2.6.2012 with permission to suffix Sunday falling on 3.6.2012 in favour of Shri Nitin Mittal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, (II), Sundernagar, District Mandi, H.P.

Certified that Shri Nitin Mittal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Nitin Mittal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Sundernagar but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 18.05.2012*

No. HHC/Estt. 3 (189)/83-I.—**30** days' earned leave on and *w.e.f.* 12.04.2012 to 11.05.2012 with permission to suffix Second Saturday and Sunday on 12.05.2012 & 13.05.2012 is hereby sanctioned ex-post-facto in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25-05-2012

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)69/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव लोहारड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर में बाई पास मटन सिद्ध सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	पुराना खसरा न० (साबक)	रकबा (कनाल मरले में)	नया खसरा न० (हाल)	रकबा (कनाल मरले में)
हमीरपुर	हमीरपुर	लोहारड़ा	266 / 1	4-3	565 / 266	0-10
					566 / 266	0-5
					567 / 266 / 1	2-14
		कुल जोड	किता -1	4-3	किता-3	3-9

आदेश द्वारा,
हस्ता०/-
सचिव (लोक निर्माण)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मु0 नं0 3/2012/T

तारीख पेशी : 22-6-2012

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव हड़वा, डाकघर सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए शादी पंजीकरण हेतु।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी हड़वा, डाकखाना सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सवर्ना देवी पुत्री श्री प्रशोतम चन्द, निवासी पेड़ला, डाकघर टीहरी, तहसील खुण्डियां के साथ दिनांक 27-1-2012 को हिन्दू रीति रिवाजानुसार हुई है परन्तु अपनी अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सियालकड़ (विकास खण्ड देहरा) के अभिलेख में दर्ज न करवा पाए हैं। इस लिए सम्बन्धित पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-6-2012 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा पंचायत को शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे पिता का नाम चुनी लाल है। परन्तु राजस्व अभिलेख में दुनी चन्द दर्ज है जोकि गलत है। दुरुस्ती की जावे।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री माधो प्रसाद पुत्र श्री वरयाम सिंह पुत्र श्री गुरदित्ता, निवासी महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री माधो प्रसाद पुत्र श्री वरयाम सिंह पुत्र श्री गुरदित्ता, निवासी महाल दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजार रखा है कि उसका सही नाम माधो प्रसाद है परन्तु राजस्व अभिलेख में माधव सिंह दर्ज है जोकि गलत है। दुरुस्ती की जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम की दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश उपनाम दनेश पुत्र श्री डैन्जू राम, निवासी कुठार, डाकघर वजरेहड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री राजेश उपनाम दनेश पुत्र श्री डैन्जू राम, निवासी कुठार, डाकघर वजरेहड़, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता डैन्जू राम की मृत्यु दिनांक 13 मई, 1982 को हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद अपील गुजरने कोई भी उजर या एतराज न सुना जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री देस राज पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री देस राज पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके ससुर श्री लालमन पुत्र श्री तुलसी की मृत्यु दिनांक 15 जनवरी, 1982 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुई है।

अतः इस राजपत्र इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद मियाद कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा। और मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Karm Chand, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. 38/NT/12

1. Shri Ranjeet Singh s/o Shri Ramesh Chand, r/o Village and P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala.
 2. Smt. Rekha Devi d/o Shri Punnu Ram, r/o Village Kaned, Tehsil Dharamshala
- . . . Applicants.

Versus

1. General Public
2. The Registrar of Marriages

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 11-3-2008 at Chetru but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 15-6-2012 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this day of 10-5-2012.

Seal.

KARM CHAND,
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 35/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

कौशल्या देवी

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व० श्री गुरतार सिंह कटोच, निवासी शील्हा चौक, मौजा सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति श्री गुरतार सिंह की मृत्यु दिनांक 2-11-2010 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धपुर में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 15-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 36/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

Penba Lhamo

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Penba Lhamo, पुत्र श्री Penba, निवासी Mcleodganj, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी भतीजी Passang Dolma की जन्म दिनांक 10-11-2003 है परन्तु M. C. Dharamshala में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 15-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 41/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

विजय कुमार

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री केवल चन्द, निवासी बाल्मिकी कलोनी कमलोट, मौजा कमलोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री स्नेहा (Saneha) की जन्म दिनांक 24-3-2004 है परन्तु ग्राम पंचायत कजलोट में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है।

अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 39/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

राजन कुमार

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी बाल्मिकी कलोनी, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अवानी (Avani) की जन्म दिनांक 28-1-2008 है परन्तु एम०सी० धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 15-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 40/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

मीना कुमारी

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री दलजीत सिंह, निवासी वार्ड नं० 5 के० वी०, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र पृथ्वी ठाकुर (Prithivi Thakur) की जन्म दिनांक 27-12-2002 है परन्तु एम०सी० धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 08/2012

तारीख पेशी : 11-06-2012

शीर्षक :

श्री रावीत कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी महाल पीरा, मौजा रंझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री रावीत कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी महाल पीरा, मौजा रंझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका असली नाम रावीत कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल पीरा, मौजा रंझू में संजय कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह दर्शाया गया है अतः इसे दुरुस्त किया जाये।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संजय कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह के बजाए संजय कुमार उपनाम रावीत कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar), Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)**NOTICE**

Notice is hereby given that Shri Hari Ram s/o Shri Basant, r/o Village Ratti, Tehsil Sadar, District Mandi and Smt. Meera Devi d/o Shri Jetu, r/o Dhawali, P.O. Faral, Tehsil Kumarsain (at present wife of Shri Hari Ram) have filed an application alongwith affidavits in this office under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 11-1-2009 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriages till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 15-6-2012 after that no objection will be entertained and necessary orders for the registration of marriage will be issued accordingly.

Seal.

Sd/-
Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar),
Sadar, District Mandi (H. P.).

Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar), Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)**NOTICE**

Notice is hereby given that Shri Ajay Rana s/o Shri Shobha, r/o Village Padharu, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar and Smt. Anita d/o Shri Partap Singh, r/o Mandal, P.O. Bhangrotu (at present wife of Shri Ajay Rana) have filed an application alongwith affidavits in this office under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 23-2-2009 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriages till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 11-6-2012 after that no objection will be entertained and necessary orders for the registration of marriage will be issued accordingly.

Seal.

Sd/-
Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar),
Sadar, District Mandi (H. P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव व डाकखाना नागचला, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव व डाकखाना नागचला, ग्राम पंचायत नागचला ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पोते का नाम रितेश कुमार की जगह 'रेयांश' पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-6-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री राजनदीप सिंह पुत्र श्री सुखविन्दर सिंह, निवासी मकान नं० 144/12, राम नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

दरखास्त बराए जन्म दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित आवेदक ने इस न्यायालय में स्वयं आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 3-8-1989 है, जोकि सही है, जबकि पंचायत अभिलेख में दिनांक 3-8-1990 गलत दर्ज हो गई है, उसे दुरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दुरुस्त करवाने बारा यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को सुबह 10.00 बजे अदालतन या वकालतन हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Vicky s/o Shri Narender Singh, r/o House No. 314/12, Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Babita Kumari d/o Shri Suresh Kumar Katoch, r/o H. No. 314/12, Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.) [at present wife of Shri Vicky s/o Shri Narender Singh, r/o House No. 314/12, Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.)]
.. Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vicky s/o Shri Narender Singh, r/o House No. 314/12, Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.) and Smt. Babita Kumari d/o Shri Suresh Kumar Katoch, r/o H. No. 314/12, Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.) [at present wife of Shri Vicky s/o Shri Narender Singh, r/o House No. 314/12, Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 1-12-2005 according to Hindu rites and customs at Ram Nagar Mandi Town, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-6-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th day of May, 2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).*

ब न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० /2010

तारीख मरजुआ : 2-8-2010

तारीख पेशी : 16-5-2012

श्री देवी दास, देवकीनन्दन पुत्र श्री सन्त राम व रजनीश कुमार, तरुन कुमार पुत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

.. प्रत्यार्थी।

श्री देवी दास, देवकीनदन पुत्र श्री सन्त राम व रजनीश कुमार, तरुन कुमार पुत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा कर अनुरोध किया है कि भूप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री फिथू पुत्र सीधु, निवासी मुहाल कैहड की जवानी वसीयत को पंजीकरण करने बारा आवेदन-पत्र गुजारा है।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित जवानी वसीयत को पंजीकरण करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को श्री भूप सिंह पुत्र स्व० श्री फिथू पुत्र श्री सीधु, निवासी मुहाल कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी के द्वारा श्री देवी दास, देवकीनदन पुत्र स्व० श्री सन्त राम पुत्र स्व० श्री फिथू व रजनीश कुमार, तरुन कुमार पुत्र स्व० श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व० श्री सन्त राम, निवासी कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश किए जाने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-6-2012 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 16-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर,
जिला मण्डी (हि० प्र०)

उनवान मुकद्दमा : 13 (3)

तारीख पेशी : 28-5-2012

पूजा ठाकुर नाबालिग द्वारा पिता श्री कृष्ण देव पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी नमाण, डाकखाना बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि० प्र०) प्राथी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जेर धारा 13 (3) भारतीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

पूजा ठाकुर नाबालिग द्वारा पिता श्री कृष्ण देव पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी नमाण, डाकखाना बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि० प्र०) वाले ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसका अपना नाम व जन्म तिथि 1-7-2007 ग्राम पंचायत बरोट के जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव को दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 28-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री नेक राम पुत्र श्री बंगाली राम, निवासी गांव व डाकखाना जजरौत, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में नेक राम दर्ज है जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में निकू दर्ज है जोकि गलत है, अतः अब मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 11-6-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर—हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री पी० सी० शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर, उप—तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री भजन दास, निवासी ग्राम हस्टाडी, उप—तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रेम चन्द उपरोक्त ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में प्रेम चन्द दर्ज है जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने शपथ—पत्र दायर किया है कि उसका नाम प्रेम चन्द के बजाए प्रेम राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 18-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 11-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी० सी० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर,
उप—तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मस्त राम कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार, अजय कुमार, अरुण कुमार पुत्रगण व रैणू प्रभा पुत्री श्री मोहन लाल, निवासी नेरवा, परगना चन्दलोग, द्वारा मुख्तयार आम श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोरा, निवासी नेरवा, परगना चन्दलोग, उप-तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

श्रीमती सोदा देवी पुत्री श्री वैलू राम, निवासी कलारा, श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी कलारा, श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी नेरवा, श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी झिकनीपुल, श्री राजेन्दर सिंह पुत्र श्री विरेन्दर सिंह, निवासी कलारा।

तकसीम भूमि खाता खतौनी नं० 206/494, ख० नं० 20, 21, 23, 68/1 व 69 रकबा तादादी 0-29-93 है० वाका चक नेरवा।

श्री मोहन लाल मुख्तयार आम पुत्र श्री गोरा, निवासी नेरवा ने तकसीम बारे आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण श्रीमती सोदा देवी, श्री ओम प्रकाश, श्री राजेन्दर सिंह उपस्थित थे और दिगर प्रतिवादीगण श्री यशपाल को समन जारी किया गया है और श्री सुरजीत पुत्र श्री अमर नाथ को कई बार समन जारी किया गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिदा श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी कलारा घर पर नहीं रहता है। वह वर्तफ कुल्लू हि० प्र० में रहता है, इसलिए समन की तामील करवानी असम्भव है। लिहाजा इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी श्री सुरजीत सिंह को समनों की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी असम्भव है। इसलिए इस इशतहार के द्वारा प्रतिवादी सुरजीत सिंह को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें तकसीम बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर दिनांक 9-6-2012 को या इससे पहले अदालत में आकर पैरवी करे अन्यथा इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मस्त राम कश्यप,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरवा,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 1-xiii-B-I/2012

तारीख मरजुआ : 8-2-2012

श्रीमती शालीनी पुत्री स्व० श्री मान सिंह

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती शालीनी पुत्री स्व० श्री मान सिंह, निवासी मण्डयालू, परगना बडाबल, तहसील सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा मण्डयालू

में शान्ती पुत्री स्व० श्री मान सिंह दर्ज है जोकि गलत है परन्तु पंचायत रिकॉर्ड में नाम शालीनी देवी पुत्री श्री मान सिंह दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 27-5-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-4-2012 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Executive Magistrate, Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Shyam Lal Chauhan s/o Shri Ram Krishan Chauhan, r/o Village & P.O Jharag, Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Application for publication of proclamation regarding change of Name.

Shri Shyam Lal Chauhan s/o Shri Ram Krishan Chauhan, r/o Village & P.O Jharag, Tehsil Jubbal, District Shimla has preferred an application alongwith affidavit stating therein that he is a retired Govt. Employee and as per service record his name is Shyam Lal Chauhan but whereas in Matric certificate his name has been shown as Shyam Lal Deshta. Now he wants to change his name permanently from Shyam Lal Deshta to Shyam Lal Chauhan to avoid any confusion in future and also requested to Publish proclamation regarding change of name in the H. P. Rajpatra.

Therefore proclamation is hereby made for the information of all concerned that the applicant has changed his name from Shyam Lal Deshta to Shyam Lal Chauhan. Now the applicant is known Shyam Lal Chauhan in future.

Given under my hand and the seal of the Court on dated 15-5-2012.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate, Jubbal,
District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Sub Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh

Date of institution : 7-5-2012

Date of next hearing : 15-6-2012

Shri Dhantu s/o Shri Saniya, r/o Village Sanat, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

1. General Public
2. The Pradhan, Gram Panchayat Bhalu

Proclamation regarding correction of name in Panchayat record.

ORDER

Whereas Shri Dhantu s/o Shri Saniya, r/o Village Sanat, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to effect his name as Shri Dhantu entered as Shri Ramesh in Gram Panchayat record inadvertently. He has apprised that the correct name mention *supra* be ordered to be entered in the Gram Panchayat Bhalu.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents-general public/Gram Panchayat Bhalu for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of name, he may appear before the undersigned court on or before 15-6-2012, failing which *ex parte* proceeding will be initiated and the order of the registration of name be announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 17-5-2012.

Seal.

Sd/-

*Sub Divisional Magistrate, Chopal,
District Shimla, Himachal Pradesh.*

ब अदालत श्री सुरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री बालक राम पुत्र श्री सीता राम, गांव शील (गवाई), डाकघर सन्धु, तहसील ठियोग, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

1. श्रीमती सावित्री पुत्री स्व० श्रीमती माठी, गांव कथाल, डाकघर सन्धु, तहसील ठियोग, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश, 2. आम जनता।

उनवान मुकद्दमा :

इन्तकाल नम्बर 33, चक गवाई वरुए वसीयत जवानी वरास्त मृतक श्रीमती माठी, भूमि खाता खतौनी
नम्बर 26/78-86, कित्ता 82, रकबा 05-47-92 हैक्टेयर का भाग 1/4 भाग।

बरवक्त तस्दीक इन्तकाल वरास्त मृतक श्रीमती माठी दिनांक 13-4-2012 को एक वसीयतनामा जवानी तहरीर दिनांक 15-3-2010 जलसा आम में वहाजरी श्रीमती वेगी पुत्री व श्री हेत राम, श्री लायक राम, श्री इन्दर सिंह पुत्रगण बशानाक्त श्री मस्त राम नम्बरदार के समक्ष श्री बालक राम पुत्र सीता राम भ्राता मृतक श्रीमती माठी ने लेखक गवाहन सहित पेश किया परन्तु श्रीमती सावित्री पुत्री हाजिर नहीं आई। वसीयत जवानी को सभी हाजिर वारसान ने सही व दुरुस्त माना है।

अतः इस इश्तहार द्वारा श्रीमती सावित्री पुत्री व आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वसीयत बारे किसी प्रकार का कोई एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 14-6-2012 को बरवक्त प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज व उजर पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में वसीयत को सही मान कर इन्तकाल वरास्त मृतक माठी वरुए वसीयत जवानी बहक श्री बालक राम भ्राता तस्दीक कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

सुरज सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।